न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपबास , भरतपुर

प्रार्थना पत्र स0 111/17

फलुआ पुत्र रामदयाल जाति लोधा निवासी खेरिया बिल्लोच तहसील रूपबास

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार तामील जरिये :–

1. जिला कलैक्टर भरतपुर राजस्थान
2. ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति रूपबास
3. सचिव महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना एवं ग्राम सचिव ग्राम पंचायत मिल्सवां तहसील रूपबास

अप्रार्थीगण

पीठासीन अधिकारी :– श्री पीआर मीना आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी रूपवास

अभिभाषक

1. रामवीर सिंह अभिभाषक
2. विकास अधिकारी
3. सचिव ग्राम पंचायत मिल्सवां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

निर्णय

दिनांक 31.05.18

सक्षेपतः प्रा.पत्र के तथ्य निम्न प्रकार है कि

1. यह है कि उपरोक्त उनवान का दावा न्यायालय में पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूरी आशा है।
2. यह है कि आराजी खं.नं. जिनका वर्णन नीचे सारिणी में दिया जा रहा है वाके ग्राम खेरिया बिल्लोच तहसील रूपबास में स्थित है जिसकी नकल जमाबंदी दावा के साथ पेश की जा रही है सम्बत 2070–2073 ग्राम खेरिया बिल्लोच खं. सं. 18, खं. नं. 640 रकबा 1 बीघा 19 बिस्बा हि. 1/2, 641 रकबा 2 बीघा 16, खंसरा संख्या 19 खसरा नम्बर 639 रकबा 2 बीघा 3 बिस्बा हि. 1/2 बाके ग्राम खेरिया बिल्लोच में है।
3. यह है कि उपरोक्त खसरा नम्बरों में दी गई वादी/प्रार्थी तथा उसके भाई रामवीर ब.हि.ब. खातेदार एवं काश्तकार एवं काबिज आराजी है तथा मौके पर वादी तथा उसके भाई का ही कब्जा है।

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

4. यह है कि उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर जिनका वर्णन वाद पत्र की खंड सं. 1 में किया गया है से अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है और ना ही अब है और वादीगणी के उक्त खं. नम्बरान से प्रतिवादीगण ने कोई भूमि रास्ते के लिये एक्वायर नही की है और न ही वादीगण के उक्त खं नं. में होकर रास्ता निकालने की कोई सहमति प्राप्त की है लेकिन फिर भी अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण जो कि सरकारी नुमाइन्दे है तथा उनके द्वारा मनरेगा में सडक डाली जा रही है जिसके लिये वादी की आराजी के तरफ पश्चिम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आराजी खं नं 642 मौजूद है जिस पर रास्ते के तरफ पश्चिम स्थित खातेदारों ने अतिक्रमण कर रखा है तथा वादी की आराजी खंनं. 641 के तरफ उत्तर आराजी खं.नं. 621 गैर मुमकिन रास्ता है जिस पर उक्त रास्ते के तरफ उत्तर स्थित खातेदारों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। तथा रास्ते के अस्तित्व को मिटा दिया है। कल दिनांक 22.05.18 को प्रतिवादीगण मौके पर आकर वादी के उपरोक्त ख.नं. की नाप तौल करने लगे तो वादी ने इसका कारण पूछा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम मनरेगा के अन्तर्गत सडक का निर्माण कर रहे है तथा आपके खेत में होकर सडक डाली जावेगी तो वादी ने कहा कि मेरे खेत में होकर आप सडक क्यो डाल रहे हो सरकारी रास्ते जिन पर अन्य खातेदारों ने अतिक्रमण कर रखा है उस सरकारी रास्तों की नाप करके आप सरकारी रास्तों में सडक डालो तो प्रतिवादीगण ने एलानिया धमकी दी कि हमारे ऊपर राजनैतिक दबाब है हम तो सडक को तुम्हारे खेत में ही होकर सडक डालेगें सरकारी रास्ता की नाप नही करवायेगे और न ही सरकारी रास्ते में सडक डालेगे तुमसे बने सो करो प्रतिवादीगण यदि अपनी उपरोक्त धमकी में कामयाब हो गये तो वादीगण को एसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार रूपये पैसो में संभव नही हो सकेगी इसलिये वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाना आवश्यक हो गया है।

5. यह कि प्राइमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के तीनो ही बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में साबित है

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारों को विधिवत पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोर्ट कैम्प मिल्सवां में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया । प्रार्थी/अप्रार्थी कोर्ट कैम्प अटल सेवा केन्द्र मिल्सवां में उपस्थित हुए । अप्रार्थी ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति रूपबास एवं ग्राम सचिव मिल्सवां उपस्थित होकर अपना जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया साथ ही राजस्व टीम द्वारा मौके पर राजस्व रिकॉर्ड की नाप प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है ।

प्रार्थी/अप्रार्थी को सुना गया पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । राजस्व टीम द्वारा की गई नाप को अवलोकन किया गया रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम खेरिया बिल्लोच की आराजी नम्बर 621, 675 जो गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है की मुताबिक नक्शे में अंकित गठ्ठों के अनुसार नाप की गई । नाप की कार्यवाही ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में की गई एवं ग्राम पंचायत सरपंच एवं ग्राम सचिव को सभी की उपस्थिति में आराजी ख.नं. 621, 675 जो गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । सीमांकन कर चिन्ह लगवाये गये। ग्राम पंचायत ने अपने जबाब में यह स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत जो कार्य

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

किया जा रहा है वह राजकीय गैरमुमकिन रास्ते पर ही किया जा रहा है किसी भी खातेदार की भूमि में हस्तक्षेप नही किया गया है । कार्य वही करवाया जा रहा है जो राजस्व टीम ने नाप कर सभी की उपस्थिति में चिन्हित किया है । इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी के पक्ष में अपूर्ण क्षति एवं सुविधा का संतुलन नही पाया जाता है । प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है ।

अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

निर्णय कोर्ट कैम्प मिल्सवां में खुले में सुनाया गया ।

31/5/18

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)